संख्या–717 / 33–1–2010–47 / 2002

प्रेषक,

आर0के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 31 मार्च, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद के वेतनमान की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2 / शा0 / 487 / 2008–4 / 122 / 2004, दिनांक 25 जून, 2008 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–240 / दस–54(एम) / 2008 दिनांक 09 मार्च, 2010 द्वारा लिये गये निर्णय के कम में जिला पंचायतराज अधिकारी के समस्त पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान रू0 8000–13500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–3 तथा ग्रेड वेतन रू0 5400 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त उच्चीकृत वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों का वेतन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841 / दस–2009–59(एम) / 2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

3– उपर्युक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–2–341, दिनांक 29 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(आर0के0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–717(1) / 33–1–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) उ0प्र0
6– समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
7– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 / 2 उ0प्र0 शासन।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
अनु सचिव।